राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

बैठक का कार्यवाही विवरण

पूर्व में दिनांक 13.8.09 को हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के कम में आज दिनांक 26.8.2009 को मा0 मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन (टास्क फोर्स) की बैठक आयोजित की गई जिसमें उपस्थित हुए सदस्य, तथा आमन्त्रित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक की शुरूआत करते हुए माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कमजोर मानसून के कारण विशेष गिरदावरी के आधार पर दिनांक 25.8.2009 को 26 जिलों के 32833 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना से अवगत कराया तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा प्रदेश में उत्पन्न गम्भीर अभाव की स्थिति से निपटने हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में तैयार किए गए ज्ञापन की भी जानकारी दी गई जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने समय पर शेष 7 गैर अभावग्रस्त जिलों की वर्षा व फसल पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि इस सम्बन्ध में समय पर यथोचित निर्णय लिया जा सके।

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने दिनांक 27.8.2009 को दिल्ली में आयोजित होने वाले सहायता आयुक्तों के सम्मेलन में ज्ञापन में मांग की गई राशि के सम्बन्ध में तथा अभावग्रस्त जिलों में नरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे 100 दिवस की गारण्टी को बरकरार रखते हुए आपदा राहत कोष से अतिरिक्त श्रम नियोजन अथवा सूखाग्रस्त जिलों में नरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिवस के कार्य दिवस को बढाकर 200 दिवस उपलब्ध कराये जाने की राज्य सरकार की मांग को पुरजोर ढंग से रखने के निर्देश दिये तथा अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य द्वारा सूखा प्रबन्ध संहिता व नियमों की पालना अन्तर्गत कराये गये विशेष गिरदावरी के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में भी उक्त बैठक में जानकारी देने के निर्देश प्रदान किये।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा अकाल राहत के तहत श्रमिकों को नकद भुगतान के सुझाव पर शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा स्पष्ट किया गया कि चूँकि अकाल राहत कार्य प्रथमतः नरेगा के तहत संचालित किये जाते हैं एवं 100 कार्य दिवस पूर्ण होने के पश्चात् आपदा राहत कोष के तहत संचालित किये

जाते हैं अतः अकाल राहत कार्यों के मापदण्ड (टास्क रेट, भुगतान प्रकिया) नरेगा के समान ही होंगे एवं मात्र मस्टररोल ही पृथक से जारी किये जावेंगे।

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने भारत सरकार द्वारा कृषि हेतु डीजल सबसीडी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, कृषि को उचित योजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए जिससे राज्य को सूखे की स्थिति में अधिक से अधिक लाभ मिल सके उन्होंने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि अभाव से उत्पन्न विषम परिस्थिति के विषय पर चारा व पेयजल पर विशेष ध्यान की ओर मा0 मुख्यमंत्रीजी ने निर्देश प्रदान किये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राज्य सरकार की ओर से शीघ्रातिशीघ्र रेल मंत्रालय को निःशुल्क पेयजल व चारा परिवहन हेतु लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से पूर्वानुसार पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर तेल कम्पनियों के द्वारा टैंकरों के माध्यम से निःशुल्क पेयजल परिवहन हेतु आग्रह किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने राज्य में अधिक से अधिक चारा उत्पादन व चारा प्रबन्धन पर समुचित कार्यवाही तथा अभिनव योजना तैयार करने के निर्देश दिये ताकि आगामी जुलाई 2010 तक कही पर भी चारे की उपलब्धता में कमी नहीं रहे।

माननीय कृषि एवं पशपालन मन्त्री जी ने अवगत कराया कि दिल्ली में हुई बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव को जिले में मापी गई कुल वर्षा के सामान्य होने के पश्चात् भी फसल खराबा होने के कारणों से अवगत कराया तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस बिन्दु को समझाने के निर्देश दिये।

बैठक में पांचना बांध के विषय में चर्चा के दौरान मा0 मुख्यमंत्रीजी ने प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन से इस बिन्दु के समाधान के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान इस विषय पर भी सहमति बनी कि आगामी रबी में बांधों के पानी को सर्वप्रथम पेयजल के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए एवं इसके बाद ही जल की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई हेतु इसका उपयोग किया जाना चाहिए तथा इसका समुचित प्रचार किया जाना चाहिए।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने अभावग्रस्त ग्रामों में सिंचाई हेतु लिये जाने वाले आबियाना शुल्क स्थगित करने, भू–राजस्व वसूली स्थगन एवं सहकारिता ऋणों को अल्पकालीन अवधि से मध्यकालीन अवधि में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर आपदा प्रबन्धन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की।

शासन सचिव, नरेगा ने अवगत कराया कि राज्य में अब तक लगभग 2.75 लाख परिवारों ने 100 दिवस के रोजगार को नरेगा अन्तर्गत उपभोग कर लिया

गया है। अतः इन परिवारों को अभाव की स्थिति में आपदा राहत निधि अन्तर्गत श्रम नियोजन कराने की आवश्यकता होगी।

बैठक के अन्त में सूखे से प्रभावित जिलों में समस्त आवश्यक राहत गतिविधियॉ जिला कलेक्टर की मांग व आवश्यकतानुसार चालू करने के निर्देश प्रदान किए गए तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 13.8.2009 को हुई राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक व आज की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए।

17/9/09

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन (टास्क फोर्स) की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1	वित्त मंत्री
2.	गृह मंत्री
3.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री
4.	जल संसाधन मंत्री
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
6.	कृषि एवं पशुपालन मंत्री
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
8.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री
9	राजस्व मंत्री
10	सहकारिता मंत्री

उक्त बैठक में निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित थे :–

1.	मुख्य सचिव
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
5.	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
6.	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
7.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
8.	प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
9.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि
10.	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
11.	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता
12.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
13.	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
14.	शासन सचिव ग्रामिण विकास एवं आयुक्त, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना।
15.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग